



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128933

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 18216/2026

अनिल कुमार

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता	:	गौरव सिंह, मोहम्मद इरफान, पवन कुमार
विपक्षी के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 71

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की बातें सुनीं और रिकॉर्ड देखा।
- वर्तमान जमानत याचिका दायर की गई है जिसमें आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 48/2026, धारा 69, 352, 351(3) बी.एन.एस., 2023, पुलिस स्टेशन- अजीमनगर, जिला- रामपुर के तहत जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक निर्दोष है और वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। अभियोजन पक्ष का यह स्वीकार किया गया है कि पीड़िता एक बड़ी लड़की थी, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। पीड़िता डेढ़ साल की अवधि के लिए आवेदक के साथ सहमति से संबंध में थी। यह आरोप कि आवेदक ने शादी के झूठे वादे पर पीड़िता के साथ बलात्कार किया, झूठा है। वास्तव में, आवेदक और पीड़िता एक रोमांटिक रिश्ते में थे, और जब चीजें ठीक नहीं हुईं और उनके रिश्ते में खटास आ गई, तो पीड़िता के परिवार के सदस्यों अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



द्वारा एक झूठी प्राथमिकी दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शादी के झूठे वादे पर उसके साथ बलात्कार किया जा रहा था। पीड़िता ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब बलात्कार का कथित अपराध पहली बार किया गया था तो उसके द्वारा मामले की सूचना क्यों नहीं दी गई।

4. आवेदक के वकील ने इस कोर्ट के उस फैसले का भी हवाला दिया है जो प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 संख्या 752/2022 (संजय सरोज उर्फ संजय कुमार बनाम यूपी राज्य और अन्य) में 18.06.2026 को सुनाया गया था, जिसमें इस कोर्ट ने आई.पी.सी. की धारा 376 के तहत चल रही कार्यवाही को रद्द कर दिया था। साथ ही यह भी कहा गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। वह 31.03.2026 से जेल में बंद है और अगर उसे जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

5. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदक के खिलाफ अपराध में उसकी संलिप्तता के संबंध में पर्याप्त सबूत हैं, इसलिए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार नहीं है।

6. पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों, आरोपों की प्रकृति, रिकॉर्ड पर लाए गए साक्ष्य, आवेदक द्वारा की गई कैद की अवधि, आपराधिक पृष्ठभूमि की व्याख्या, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय ने पाया कि आवेदक ने जमानत देने के लिए एक मामला बनाया है।

7. तदनुसार, जमानत आवेदन प्रार्थना पत्र स्वीकार की जाती है।

8. आवेदक- **अनिल कुमार**, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/269 बी.एन.एस. के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक सुनवाई के दौरान जमानत की आज्ञादी का गलत इस्तेमाल करता है, तो उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए सीआर.पी.सी. की धारा 82/बी.एन.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। अगर आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर कोर्ट के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय कानून के अनुसार भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए /बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले को शुरू करने, (2) आरोप तय करने और (3) सीआर.पी.सी. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

9. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत को रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

24 जून, 2026